(b) Does not arise.

गरीबी की रेखा के निर्धारण हेतु आय सीमा का कम किया जाना

3782. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गरीबी की रेखा के निर्धारण हेतु वार्षिक आय को 6400 रुपये से घटाकर 1100 रुपये कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संशोधन के पश्चात् गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) 6400 रुपये की पहली गरीबी की रेखा की तुलना में आठवीं योजना के दौरान संशोधित गरीबी की रेखा को 1991-92 की कीमतों के आधार पर प्रति परिवार 11,000 रुपये वार्षिककर निर्धारित किया गया है। इसलिए गरीबी की रेखा निर्धारित करने हेतु वार्षिक आय में कोई कटौती नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चकबंदी संबंधी कानूनों का क्रियान्वयन

3783. **चौधरी हर मोहन सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चकबंदी के कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन कानूनों का समुचित ढंग से पालन करने हेतु राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) और (ख) 15 राज्यों तथा 2 केन्द्र शासित क्षेत्रों ने भूमिजोतों की चकबंदी और विखंडन के संबंध में कानून बनाए हैं। आन्ध्र प्रदेश, बिहार तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों में कार्य आस्थागित किया गया है। कार्यक्रम को असम, पश्चिम बंगाल तथा दादरा व नगर हवेली में शुरू नहीं किया गया है।

(ग) भूमि और इसके प्रबंध की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार की भूमिका समन्वयकारी और परामर्श देने की है। जोतों की चकबंदी से संबंधित मुद्दों पर राजस्व मंत्रियों के विभिन्न सम्मेलनों में चर्चा की गई है जिनमें इस संबंध में भी सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों को संबंधित राज्य सरकारों को उपयुक्त कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप अब तक 1493.74 लाख एकड़ क्षेत्र की चकबंदी की गई है।

3784. *[Transferred to 22nd December, 1992]*

गुजरात में हैंडपम्प लगाया जाना

3785. **श्री गोपालसिंह जी सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के ग्रामीण और सूखा पीड़ित क्षेत्रों में हैंडपम्प लगाने हेतु वित्तीय उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां पर अब तक कितने हैंडपम्प लगाए जा चुके हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 21.27 हैंडपम्प लगाने हेतु 5.32 करोड़ रुपये के अनुरोध की तुलना में केन्द्र सरकार ने डा० बाबा साहिब अम्बेडकर शताब्दी कार्यक्रम के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 हैंडपम्प लगाने के लिए 1991-92 में 3.00 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की थी। जहां तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का संबंध है, राज्य सरकार ने सूखा राहत सहायता हेतु दिए गए ज्ञापन में अन्य बातों के अलावा, 2258 गांवों में पीने के पानी के लिए 3473 हैंडपम्प लगाने हेतु 7.56 करोड़ रुपये दिए जाने का अनुरोध किया था। यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार इस खर्च को आपदा राहत कोष और सामान्य योजना कार्यक्रम की निधियों में से पूरा कर सकती है।

(ग) अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पेयजल